प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 04 जून, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुनील सिंह पुत्र श्री मुन्नू सिंह, निवासी जनपद-फर्रूखाबाद की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-25779/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-13.06.2025), दिनांक 25.06.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुनील सिंह पुत्र श्री मुन्नू सिंह (दिनांक 16.05.2025 तक बंदी की आयु 48 वर्ष, 11 माह, 21 दिन) वीरपुर हरिहरपुर, थाना-कायमगंज, जनपद-फर्रूखाबाद का निवासी है। प्रथम वाद में दिनांक 18.09.2000 को बन्दी द्वारा अपने सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रंजिश व पार्टीबन्दी के कारण तमंचे से गोली मारकर 01 व्यक्ति की हत्या की घटना कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या-54/2001, 63/2001 में भा0द0वि0 की धारा- 452/34, 302/34, 504, 506 व 25 ए एक्ट के अन्तर्गत अपर जिला जज फर्रूखाबाद के आदेश दिनांक 28.01.2011 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा प्रथम वाद में जेल रिपोर्ट दिनांक 16.05.2025 तक अपरिहार 14 वर्ष, 06 माह, 10 दिन तथा सपरिहार 17 वर्ष, 11 माह, 16 दिन की सजा भोगी गयी है।

द्वितीय वाद में दिनांक-30.06.2007 को रात 11:00 बजे बंदी द्वारा अपने सहअभियुक्तों के साथ मिलकर प्रधानी के चुनाव की रंजिश में तंमचे व रायफल से गोली मारकर 01 व्यक्ति की हत्या की घटना करित की गयी। उक्त अपराध हेतु सत्र सपरीक्षण संख्या-663/2007 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 120बी, 147, 148 व 25/27 एक्ट में मा0 न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मैनपुरी के आदेश दिनांक 17.07.2019 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा द्वितीय वाद में अपरिहार 06 वर्ष, 05 माह, 03 दिन तथा सपरिहार 07 वर्ष, 06 माह, 20 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, फर्रुखाबाद द्वारा बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बंदी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक स्थिति समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नही होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में प्रथम वाद में दिनांक-18.09.2000 को बन्दी द्वारा अपने सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रंजिश व पार्टीबन्दी के कारण तमंचे से गोली मारकर 01 व्यक्ति की हत्या की घटना कारित की गयी तथा द्वितीय वाद में दिनांक-30.06.2007 को रात 11:00 बजे बन्दी द्वारा अपने सहअभियुक्तों के साथ मिलकर प्रधानी के चुनाव की रंजिश में तमंचे व रायफल से गोली मारकर 01 व्यक्ति की हत्या की घटना कारित की गयी। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नही है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी सुनील सिंह पुत्र श्री मुन्नू सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुनील सिंह (बंदी संख्या-26014) पुत्र श्री मुन्नू सिंह, निवासी जनपद-फर्रूखाबाद के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।
(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-661/2026/1398 (1)/22-2-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद।
2- पुलिस अधीक्षक, फर्रूखाबाद।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री/ मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-661/2026/1398/22-2-2025-17(980)/2025

दिनांक 04 जून, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुनील सिंह पुत्र श्री मुन्नू सिंह (दिनांक 16.05.2025 तक बंदी की आयु 48 वर्ष, 11 माह, 21 दिन) वीरपुर हरिहरपुर, थाना-कायमगंज, जनपद-फर्रूखाबाद का निवासी है। प्रथम वाद में दिनांक 18.09.2000 को बन्दी द्वारा अपने सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रंजिश व पार्टीबन्दी के कारण तमंचे से गोली मारकर 01 व्यक्ति की हत्या की घटना कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या-54/2001, 63/2001 में भा0द0वि0 की धारा- 452/34, 302/34, 504, 506 व 25 ए एक्ट के अन्तर्गत अपर जिला जज फर्रूखाबाद के आदेश दिनांक 28.01.2011 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा प्रथम वाद में जेल रिपोर्ट दिनांक 16.05.2025 तक अपरिहार 14 वर्ष, 06 माह, 10 दिन तथा सपरिहार 17 वर्ष, 11 माह, 16 दिन की सजा भोगी गयी है।

द्वितीय वाद में दिनांक-30.06.2007 को रात 11:00 बजे बंदी द्वारा अपने सहअभियुक्तों के साथ मिलकर प्रधानी के चुनाव की रंजिश में तंमचे व रायफल से गोली मारकर 01 व्यक्ति की हत्या की घटना करित की गयी। उक्त अपराध हेतु सत्र सपरीक्षण संख्या-663/2007 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 120बी, 147, 148 व 25/27 एक्ट में मा0 न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मैनपुरी के आदेश दिनांक 17.07.2019 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा द्वितीय वाद में अपरिहार 06 वर्ष, 05 माह, 03 दिन तथा सपरिहार 07 वर्ष, 06 माह, 20 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, फर्रुखाबाद द्वारा बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बंदी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक स्थिति समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नही होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में प्रथम वाद में दिनांक-18.09.2000 को बन्दी द्वारा अपने सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रंजिश व पार्टीबन्दी के कारण तमंचे से गोली मारकर 01 व्यक्ति की हत्या की घटना कारित की गयी तथा द्वितीय वाद में दिनांक-30.06.2007 को रात 11:00 बजे बन्दी द्वारा अपने सहअभियुक्तों के साथ मिलकर प्रधानी के चुनाव की रंजिश में तमंचे व रायफल से गोली मारकर 01 व्यक्ति की हत्या की घटना कारित की गयी। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नही है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी सुनील सिंह पुत्र श्री मुन्नू सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in